

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उप जिला मजिस्ट्रेट

मुकाम

चौथ का बरवाड़ा

क्र. 12/12/23 वगैरे बनाम अनिता वगैरे
किस्म मुकदमा दावा नं. 32 सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
------------	---------------------------------	--

14/11/23

पत्रावली पेश हुई। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया जो पूर्ण है। पत्रवली दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की तबली हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12/12/23 को पेश हो।

दावा
958-978
14/11/23

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे कानून व्यवस्था के कारण आज दिनांक 12/12/23 को राजस्व के आगामी तारीख पेशी दिनांक 26/12/23 नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी राजकार्य/अवकाश/प्राटोकाल कार्य/निर्वाहन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 26/12/23 की तारीख पेशी आगामी दिनांक 4/1/24 निश्चित की गई है।


पीठासीन अधिकारी राजकार्य/अवकाश/प्राटोकाल कार्य/निर्वाहन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 4/1/24 की तारीख पेशी आगामी दिनांक 11/1/24 निश्चित की गई है।

पीठासीन अधिकारी राजकार्य/अवकाश/प्राटोकाल कार्य/निर्वाहन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 11/1/24 की तारीख पेशी आगामी दिनांक 16/1/24 निश्चित की गई है।

पीठासीन अधिकारी राजकार्य/अवकाश/प्राटोकाल कार्य/निर्वाहन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 16/1/24 की तारीख पेशी आगामी दिनांक 23/1/24 निश्चित की गई है।

प्रतिवादी का 1, 2 व 3 कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के वकालतनामा पेश किया



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख प्रकरण जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2026	<p>वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आज तलब की गई। वकील वादीगण ने एक अन्य प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि उनवानी प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। इसलिये वादीगण अब उनवानी प्रकरण को चलाना नहीं चाहते एवं प्रकरण को विद्धों करना चाहते हैं। अतः उक्त वादपत्र को विद्धों करने अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।</p> <p>मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील वादीगण प्रार्थना पत्र उन्हे पत्रावली विद्धों करने की अनुमति प्रदान की जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)</p>	